

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (निवास)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail :  
jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website :  
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2879

दिनांक 02-04-2016

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार श्री रामनाथ सिंह महाविद्यालय, गोरमी, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

### निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


1. सत्र शुरू होने से पहले 28(17) के अन्तर्गत स्टाफ की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाये।
2. सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाए।
3. पाठ्यक्रमानुसार मानक स्तर की 100 शीर्षक पुस्तकें क्रय की जाये।
4. स्टाफ का वेतन बैंक से देना सुनिश्चित किया जाये।
5. प्रयोगशालाएं मय उपकरण के सुसज्जित किए जाए।
6. शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि को जल्द नामित किया जावे।
7. परिचयन 27,28 का पूर्ण रूप से पालन हो।
8. खेल मैदान पूर्ण रूप से विकसित किया जाये।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, श्री रामनाथ सिंह महाविद्यालय, गोरमी, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद